सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 612 राँची, बुधवार 20 जून, 2018 (ई०)

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

20 जून, 2018

संख्या: प०नि०वि०-08-निबं०-विविध- 15/2011 3522(S)-- पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-5851(एस) सहपठित ज्ञापांक 5852(एस) दिनांक 10 सितम्बर, 2008 एवं अधिसूचना सं० 4815(एस) सहपठित ज्ञापांक 4816(एस) दिनांक 10 जुलाई, 2012 के क्रम में झारखण्ड राज्यपाल सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2018 प्रतिपादित करते हैं ।

1. (क) यह नियमावली झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2018 कहलायेगी ।
   (ख) यह राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
   (ग) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
2. संशोधन नियमावली 2012 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 4.3 में उपनियम 4.3.2 निम्नवत् जोड़ा जायेगा, अर्थात् 4.3.2- विभाग में मात्र एक श्रेणी का निबंधन मान्य होगा । सम्प्रति एक से अधिक श्रेणी में निबंधित संवेदक इस नियमावली के लागू होने की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर किसी एक श्रेणी के निबंधन को मान्य रखने तथा शेष को रद्द करने का आवेदन निबंधन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करेंगे । निर्धारित अवधि में आवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में ऐसे संवेदकों के सभी श्रेणी के निबंधनों को रद्द कर दिया

जाएगा । उच्चतर श्रेणी में उन्नयन के आधार पर निबंधन होने के उपरांत निम्न श्रेणी के निबंधन को स्वतः रद्द समझा जाएगा । इस नियम के लागू होने के पश्चात संवेदक द्वारा चयनित श्रेणी में वरीयता निर्धारण हेतु इसके द्वारा अन्य श्रेणियों में किये गये कार्यों की गणना भी की जाएगी ।

3. मूल निबंधन नियमावली-2008 के नियम 7 में उप नियम 5 निम्नवत् जोड़ा जाएगा अर्थात् 7.5- नियम 5.2 के शर्तों के अधीन निबंधन नवीकरण हेतु भी आन लाईन (On Line) कागजात समर्पित किए जा सकेंगे ।

4. मूल निबंधन नियमावली-2008 के नियम 10 उपनियम 1 में निम्नांकित उपभाग जोड़ा जाएगाः- "10.1.14 - विभाग को ऐसे किसी तथ्य से अवगत नहीं कराना जिसकी सूचना निबंधन हेतु तथा निविदा मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो ।

5. मूल निबंधन नियमावली - 2008 के नियम 10 उपनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् - 10.2 - काली सूची में दर्ज होने वाले संवेदक/परामर्शी को किसी भी विभाग/उपक्रम की निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने की समय-सीमा विभागीय निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपराध के आकलन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा । समय सीमा अधिकतम 10 वर्ष की होगी । ऐसे संवेदक/परामर्शी का निबंधन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा । काली सूची में सूचीबद्ध रखने की अवधि की समाप्ति के उपरांत संवेदक/परामर्शी नया निबंधन करा सकेंगे । काली सूची में रह चुके संवेदक/परामर्शी को वरीयता निर्धारण हेतु पूर्व में किये गए कार्यों का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

किसी संवेदक अथवा परामर्शी (यथा मामले) के विरूद्ध दायित्व निर्धारण के क्रम में, एकरारनामा की राशि/कार्यादेश की राशि को दृष्टिपथ में रखा जायेगा ।

पूर्व से काली सूची में सूचीबद्ध संवेदक भी इस नियम से प्रभावित होंगे ।

6. मूल निबंधन नियमावली-2008 के नियम 10.3 एवं 11.5 को विलोपित किया जाता है ।

7. मूल निबंधन नियमावली-2008 की कंडिका 14 में अंकित 'मूलभूत संरचना' का तात्पर्य मात्र संवेदक फर्म/कम्पनी के प्रकार से समझा जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 612 -- 250